संख्या- 162 **/2024/I/** 829818 **/2024/71-1002(002)/1/2024**

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 23 **दिसम्बर, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडरनगर, जालौन एंव कन्नौज हेतु मानक मद 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2024-25/283, दिनॉक 15.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर/जालौन/कन्नौज हेतु हेतु मानक मद 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में कुल रू0 110.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-2210-05-789-03-05-राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर, लेखाशीर्षक-2210-05-789-03-02-राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन एंव लेखाशीर्षक-2210-05-789-03-01-राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज हेतु मानक मद 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कुल धनराशि **रू0 110.00 लाख (रू0 एक करोड़ दस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति **(संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार)** निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210057890301 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2210057890301 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
	कुल			**20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210057890302 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2210057890302 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
	कुल			**35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210057890305 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2210057890305 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	55,00,000 (रुपये पचपन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	कुल			**55,00,000 (रुपये पचपन लाख मात्र)**
महायोग				1,10,00,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by
Manoj Kumar Singh
Date: 20-12-2024 14:13:25

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्यदिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर/जालौन/कन्नौज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर/जालौन/कन्नौज।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर/जालौन/कन्नौज।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग- 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/ स्वीकृति

(संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A071-2024-25-71-1002(002)/1/2024-

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज कन्नौज/जालौन/अम्बेडकर नगर में एन0एम0सी0 शुल्क व अन्य शुल्क भुगतान हेतु मानक मद-16 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2210057890305 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर)	01 (वेतन)	30,00,00,000 रुपये तीस करोड़ मात्र	8,71,00,000 रुपये आठ करोड़ इकहत्तर लाख मात्र	-1,10,00,000 रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र	-	-	2024-2025

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2210057890305 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	55,00,000 रुपये पचपन लाख मात्र	-	-	2024-2025
083	2210057890302 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए	70,00,000 रुपये सत्तर लाख मात्र	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र	-	-	2024-2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		भुगतान)					
083	2210057890301 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	-	-	2024-2025

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2210-05-105-789-03-05-राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर के मानक मद-01-वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 110.00 लाख की सम्भावित बचत है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज कन्नौज/जालौन/अम्बेडकर नगर के क्रमशः पत्र दिनांक 08.10.2024/01.10.2024 व 28.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु एन0एम0सी0 आवदेन शुल्क अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम हेतु सम्बद्धता शुल्क एवं अन्य एफिलियेशन व इंसपेक्शन फीस जमा कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-83 में राजस्व पक्ष के अन्तर्गत मानक मद 16-व्यावसायिक एंव विशेष सेवाओं हेतु भुगतान में कुल रू0 110.00 लाख की धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:आर ई-बजट-1- 152 , दिनांक 29 नवम्बर, 2024

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

(कपिल देव भारती)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिंकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या/दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज/जालौन/अम्बेडकर नगर।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।